

**आयकर अपीलीय अधिकरण,**  
**इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**

**आ.अ.सं. 723/इंदौर/2024**

**निर्धारण वर्ष : 2014-15**

नीलमणि पद्माकर राणे, 18, नारायण बाग, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी-5(2), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-बीओपीपीआर 9671 एल PAN- BOPPR9671N		
अपीलार्थी की ओर से	:	श्री सौम्य बंब, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	:	27.02.2025
उद्घोषणा तिथि	:	27.02.2025

**आदेश**

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 06.09.2023 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती के विरुद्ध एक पक्षीय (Ex parte) आदेश पारित किये गये हैं । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इस अपील को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में

प्रतिप्रेषित किया जाए । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इस अपील को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान अधिकारिता निर्धारण अधिकारी (Jurisdiction AO) की फाईल में वापिस भेजना उचित समझता हूँ । मैं, तदनुसार आदेश करता हूँ । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल